अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली निदेशक कार्यालय

फा.सं.40-30/2022-स्था.I

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सीएसआर के तहत दान स्वरूप प्रदान की गई सभी वस्तुओं की अनिवार्य स्टॉक प्रविष्टि।

एम्स, दिल्ली को प्राय: सीएसआर के तहत बहुत सारे चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं दान में दी जाती हैं। यह देखा गया है कि सीएसआर के तहत बनाई गई सभी संपत्तियों की प्रविष्टि संबंधित स्टॉक रजिस्टर में नहीं की जा रही है, जिसके कारण उनका रखरखाव एवं वस्तु सूची का संरक्षण एक चुनौती बनता जा रहा है।

तदनुसार, यह आवश्यक है कि सीएसआर के तहत जितनी भी संपितयों का निर्माण/क्रय गया है उनकी प्रविष्टियां दिनांक 31 मई 2024 से पहले स्टॉक रजिस्टर में की जाए। इसके अलावा, सीएसआर के तहत निर्मित सभी नई संपितयों की उनकी प्राप्ति के तुरंत बाद स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जाए और उससे संबंधित जानकारी उक्त पिरसंपित के प्राप्त/चालू होने के 7 दिनों के भीतर सीएसआर सेल को भेजी जाए।

प्रो. एम श्रीनिवास

दिनांक: 18.05.2024

निदेशक

वितरण: (इसे अपने नियत्रंणाधीन सभी अधिकारियों में परिचालित करने के अन्रोध सहित)

- 1. संकायाध्यक्षगण (शैक्षिक, अनुसंधान, परीक्षा)
- 2. अपर निदेशक (प्रशासन)
- 3. चिकित्सा अधीक्षक (एम्स)
- 4. सभी केंद्र-प्रम्खगण/अध्यक्ष, एनसीआई, झज्जर
- 5. सभी विभागाध्यक्षण
- 6. वरिष्ठ वित्त सलाहकार
- 7. प्रभारी-आचार्य, कम्प्यूटर सुविधा

(नोटः किसी भी विवाद की स्थिति में इस कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।)

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI
OFFICE OF DIRECTOR

F. No. 40-30/2022-Estt.I

18.05.2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Mandatory stock entry for all items donated under CSR reg.

AIIMS New Delhi is often donated a lot of medical equipment and facilities under CSR. It has

been noted that all assets created under CSR are not being entered in the respective stock

registers, due to which their subsequent maintenance and inventory keeping is a challenge.

Accordingly, it is desired that all assets created / procured under CSR shall be entered into the

stock registers before 31st May 2024. Further, all new assets created under CSR, shall be

entered into the stock registers immediately on their receipt and information regarding the

same shall be forwarded to the CSR Cell within 7 days of the said asset being received /

commissioned.

Prof. M Srinivas
Director

Phr 18/2/2024

Distribution (with a request to also circulate it to all officials under their control)

1. Dean/s (Academic, Research, Examination)

2. Addl. Director (Admin)

3. Medical Superintendent (AIIMS)

4. Chiefs' of all Centres / Head, NCI Jhajjar

5. Heads' of all Departments

6. Sr. Financial Advisor

7. Prof. I/c Computer Facility